

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,  
विशेष प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
युवा कल्याण एवं प्रारद निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग

देहरादून : दिनांक

मार्च, 2024

**विषय:—** वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण के अन्तर्गत 04-यात्रा व्यय मानक मद से धनराशि पुनर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2548/दो लेखा-3972/2023-24 दिनांक 16.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-04- प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण के अन्तर्गत-04-यात्रा व्यय मानक मद से रू0 10,50,000/- (दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0-09 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि के व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध है। तत्पश्चात ही समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि व्यय की जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

(3) धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0-08 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

(5) धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में

1/201936/2024 वित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) उक्त धनराशि का आहरण/व्यय शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (यथासंशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-11 के संगत मानक मदों में प्राविधानित धनराशि से संलग्न बी0एम0-09 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या-I/201826/ 2024 दिनांक 26 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक- यथोपरि।**

**भवदीय**

(अमित कुमार सिन्हा)  
विशेष प्रमुख सचिव

**पृष्ठांकन संख्या /VI-4 /2024-61(01)2021 तददिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 6- गार्ड फाईल।

**आज्ञा से**

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)  
अपर सचिव